

का पत्र हो

3

26/11/18

आज 2.0 सा कृषि बोर्ड हमारी में वाल

जनरल का ही यह आदेशों की प्रस्ताव में दिनांक 27/11/18 का पत्र हो

राजस्थान लोक अदालत आयोग
न्याय आदेश द्वारा 2018

25618 पत्रावली राजस्थान लोक अदालत कृषि बोर्ड जोरमेदा में प्रेषित हुई। पत्रावली एवं पत्रावली मध्य उपमण्डल रिमाई का अवलोकन किया। बाकी मज ने बाकी मज अपने से अपनी पेशीक भूमि अवलोकन हुए आधी घोषणा का बाद प्रेषित किया है। बाकी मज ने अपने बाद की प्रेषित में प्रेषित के बिना गैरविन्य मज के नाम का कोई भी राजस्थान रिमाई प्रेषित नहीं किया है। प्रेषित मज ने अपने प्रेषित दावा में अपनी प्रेषित भूमि अवलोकन है। अतः

—
न्यायक कलकट
श्रीक

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2018

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुकम की तारीख
में जारी

वादिगण के द्वारा अपने वाद की पूर्णता में कोई भी
शेखर रिवाजी के समक्ष होने के कारण वादिगण का
वाद सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जा रहा है।
पर्याप्त नहीं है। प्रकरण फैसल सुनार
दोस्ताना रूप में समाप्त तथा बाद तत्काल पूर्ण
लेख भेजा है। निर्णय शान्त होके अदायत ईम
कोर्ट बोमेटा के मादमे आम से लिखवा जाकर
जुनाया गया।

Evans
[**विशेष कलक्टर**
कोर्ट]